



न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी

नि.प्र. 2006 / - 11-16

रमेश रावत पुत्र चन्दन सिंह रावत
निवासी ग्राम भीमपुर तह. नरवर जिला
शिवपुरी म.प्र.

--- आवेदक

विरुद्ध

1. सुमेर सिंह पुत्र घमण्डी
2. श्रीमती पत्तो पत्नी सुमेर सिंह
निवासीगण ग्राम भीमपुर तह. नरवर
जिला शिवपुरी म.प्र.

--- अनावेदकगण

एस. पी. पाण्डे
द्वारा आज दि. 17/01/2016 को
प्रस्तुत

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(S. P. Pandey)
19.1.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. करैरा जिला शिवपुरी के प्र.
क. 140/अ-70/15-16 में पारित आदेश दिनांक 18.
12.2015 विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यह कि, विवादित भूमि ग्राम भीमपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी के सर्वे कं. 132/2/2 रकवा 1.28 है. एवं सर्वे कं. 133 रकवा 0.70 है. कुलकिता 2 कुल रकवा 1.98 है. के समान भाग के भूमि स्वामी आवेदक एवं अनावेदकगण हैं। इस के संबंध में अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अधीनस्थ न्यायालय तहलीदार नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क 36/अ-70/14-15 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 05.10.2015 से आवेदकगण को वेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त प्रकरण को अनु.वि.अधि. करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष दिनांक 18.12.2015 के आधार पर सिविल वारण्ट के लिये नोटिस भेजा गया कि आवेदकगण का उक्त भूमि पर अवैध कब्जा है। उक्त कब्जे को हटाया जाये तथा अर्थ दण्ड भी आरोपित किया जावे साथ ही सिविल जैल की कार्यवाही के लिये

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-2004-तीन/2016

जिला-शिवपुरी

रमेश रावत विरुद्ध सुमेर सिंह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24-04-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 140/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-06-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p>24/4/19</p>